न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्र.सं. 156/2011
जीसीएमएस : 2011/00012

1. औमप्रकाश पुत्र श्री भजनलाल जाति नायक साकिन 16 पीटीडी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. —:वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
2. अधीक्षण , अभियन्ता जल संसाधन सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड श्री विजयनगर।
3. अधीशाषी अभियन्ता जल संसाधन सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड श्री विजयनगर।
4.

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—209 राज.काश्त. अधि. एवं धारा 136 राज. भू. राज. अधि.

तारीख रजू 27.12.2011

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांक : 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया। कि चक 16 पीटीडी के मु.नं. 25 पं.नं. 279/339 के कि.नं. 1 ता 25 में 25 बीघा अर्थात 6.325 है. नहरी भूमि 05.04.1974 को आवंटित हुई थी। जिस पर वादी काबिज है एवं नहरी दर से समस्त राशि जाम करवाई व समस्त बीघों आवपाशी हो रहा है। वादी को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता होने पर जमाबन्दी निकलाई जिसमें नहरी 14 बीघा व 11 बीघा बारानी दर्ज होने का ज्ञान होने से राजस्व रिकार्ड खगालने पर पता चला की सनद में भी नहरी 14 बीघा दर्ज है जबकि 11 बारानी दर्ज है। सनद उसी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज होने पर प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर रकबा आवंटन आदेशानुसार दुरूस्त करने का निवेदन करने पर दिनांक 20.12.2011 को दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार इस आधार पर कर दिया कि माननीय न्यायालय के आदेश ही दुरूस्ती सम्भव है यही तारीख पैदा होने विनाए दावा बिनाये मुखास्मत है इसलिए दावा पेश कर रहे है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण का खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। चक 16 पीटीडी के मु.नं. 25 पं.नं. 279/339 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा अर्थात 6.325 है. कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड सनद एवं जमा बन्दी एव अन्य जगह जहां जरूरत हो को दुरूस्त करते हुए जहां 14 बीघा नहरी 11 बारानी दर्ज है वहां 25 बीघा नहरी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकार की तरफ से राजपेरोकार नायब तहसीलदार मुकलावा पेश होकर जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया गया है कि वादी ... गंगानगर द्वारा जारी सनद में संशोधन करवाना चाहता है जो न्यायाल... क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नही है। अतः वाद काबिल खारिज है। प्रति... खिलाफ दिनांक 05.03.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति... 2—3 की तरफ से श्री मदनसिंह चारण अधिवक्ता ने दिनांक ... 7 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2—3 ... 2012 को एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। दिनांक 21.05.2012 को प्रतिवादी सं. 2—3 की तरफ से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

जवाब दावा पेश हुआ। जिसमें अंकित किया गया है कि चक 16 पीटीडी के मु.नं. 25 प.नं. 279/339 के कि.नं. 1 ता 25 वादी द्वारा कमाण्ड रकबा बताया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड में 14 बीघा कमाण्ड व 11 बीघा अनकमाण्ड होना दर्ज है। इस प्रकार वादी द्वारा इस मद में तथ्य बढा चढा कर दर्ज किये है। राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी एवं सनद खातेदारी में भी 14 बीघा कमाण्ड व 11 बीघा अनकमाण्ड दर्ज है। चक 16 पीटीडी के मु.नं. 25 प.नं. 279/339 के 25 बीघा भूमि वादी के नाम से जो बताये गये है उसमें से 14 बीघा कमाण्ड व 11 बीघा अनकमाण्ड रकबा सनद खातेदारी व जामबन्दी में भी दर्ज हैं इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। जबकि राजस्व रिकार्ड में 14 बीघा कमाण्ड रकबा वादी का दर्ज होना बताया गया है लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा सन् 2002–2003 से अब तक उक्त मुरब्बा में 21 बीघा भूमि की पानी की बारी दी जा रही हैं। उक्त मामला राजस्व रिकार्ड से संबंधित है इसलिए हम प्रतिवादीगण को गलत पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी का मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकी कायम की गईः–

1. आया कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्शायी गई चक 16 पीटीडी की 6.325 है. अर्थात 25 बीघा नहरी भूमि वादी को आवंटित हुई थी एवं समस्त किश्त राशि नहरी दर से जमा करवाई थी जिसकी वादी आवंटन आदेश मुताबिक घोषणा करवा पाने का विधिक अधिकारी है।
   –: वादी
2. आया कि राजस्व रिकार्ड में गलती से 14 बीघा नहरी एवं 11 बीघा बारानी दर्ज हो जाने से वादी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवा पाने का विधिक अधिकारी है।
   –:वादी
3. आया कि राजस्व रिकार्ड में 14 बीघा कमाण्ड एवं 11 बीघा अनकमाण्ड रकबा दर्ज है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।
   –:प्रतिवादीगण
4. आया कि सिंचाई विभाग द्वारा इस मुरब्बा को वर्ष 2002–2003 से अब तक 21 बीघा भूमि कि पानी की बारी दी जा रही है प्रतिवादीगण को गलत पक्षकार बनाया गया है। इसलिए विशेष हर्जाना दिलाया जावे।
   –: प्रतिवादीगण

वादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वाके चक 16पीटीडी ए की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2068 के खाता नं. 7/5 प्रर्दश–1, आवंटन आदेश की प्रति प्रर्दश– 2 ए ,सनद खातेदारी प्रति प्रर्दश–3 ए ,रसीद सं. 093384/000028 ओमप्रकाश के नाम फोटो प्रति प्रर्दश–4 ए,चालान सं. 4520 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–5ए ,चालान सं. 3248/27.01.79 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–6ए , ,चालान सं. 8379/10.1.16 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–7ए, ,चालान सं. 8359/ ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–8ए, ,चालान सं. 828/6.06.86 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–9ए, ,चालान सं. 712/25.05.87 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–10ए, ,चालान सं. 10173/ ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–11ए, ,चालान सं. 322425/14.02.92 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–12ए, ,चालान सं. 4021/14.02.92 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–13ए, ,चालान सं. 5970/26.08.96 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–14ए, ,रसीद सं.20 ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–15ए , ,रसीद सं. 021727/000018/ ओमप्रकाश के नाम की फोटो प्रति प्रर्दश–16ए प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। ... बहस में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद स्वीकार कर ... किया जाने हेतु निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव दावा में अंकित तथ्यों को ते हुये वादी का वाद–पत्र मौजुदा सूरत में खारिज किया जावे।

हस पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक ोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है कि :

ाया कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्शायी गई चक 16 पीटीडी की 6.325 र्थात 25 बीघा नहरी भूमि वादी को आवंटित हुई थी एवं समस्त किश्त राशि नहरी दर ामा करवाई थी जिसकी वादी आवंटन आदेश मुताबिक घोषणा करवा पाने का विधिक कारी है।

–: वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाके चक 16 डीए की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2068 के खाता नं. 7/5 के अनुसार खातेदार प्रकाश पुत्र भजन लाल जाति नायक सा. देह खातेदार के नाम प.न. 279/339 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 10 व 13 ता 16 कमाण्ड ,व कि.न. 11–12 व 17 ता 25 अनकमाण्ड कुल 25 है. कमाण्ड /अनकमाण्ड भूमि दर्ज है। जबकि आवंटन आदेश प्रति प्रर्दश– 2 ए के सार उक्त भूमि 25.00 बीधा भूमि लाईट लूम दर्ज है। जबकि अधिशाषी अभियन्ता जल ाधन सूरतगढ़ ब्राच खण्ड श्री विजयनगर के पत्र कमांक/टी–11/316 दिनांक 04.2010 के द्वारा तहसीलदार रायसिहंनगर को पत्र लिखा गया है कि चक 16 पीटीडी ए प.न. 279/339 के कि.न. 1 ता 10, 13 ता 16, 19 ता 25 का रकबा नहरी, (कमाण्ड) ा कि.न. 11–12–17–18 बारानी (अनकमाण्ड) है। जिसकी पानी की पर्ची भी जारी की है। उक्त तथ्यो के बारे में अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन सूरतगढ़ ब्राच खण्ड श्री जयनगर ने अपने अतिरिक्त कथन में स्वीकार किया है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 03'–2003 से अब तक उक्त मुरब्बा में 21.00 बीधा भूमि की पानी की बारी दी जा रही । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

–आया कि राजस्व रिकार्ड में गलती से 14 बीघा नहरी एवं 11 बीघा बारानी दर्ज हो जाने वादी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवा पाने का विधिक अधिकारी है। –:वादी

स तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। इस तनकी का निर्णय अधिकतर तनकी नं. में किया जा चुका है। प्रतिवादीगण अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन सूरतगढ़ ब्राच खण्ड ी विजयनगर ने अपने अतिरिक्त कथन में स्वीकार किया है। सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 003–2003 से अब तक उक्त मुरब्बा में 21.00 बीधा भूमि की पानी की बारी दी जा रही है। जिसके अनुसार वादी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

3–आया कि राजस्व रिकार्ड में 14 बीघा कमाण्ड एवं 11 बीघा अनकमाण्ड रकबा दर्ज है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।

–:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपनी जबाव दावा में यह स्वीकार किया कि वादी को 21.00बीधा पानी दिया जा रहा है। 4–00बीधा बारानी है। इस तनकी का निर्णय तनकी नं. 1–2 में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस तनकी निर्णय प्रतिवादीगण विरूद्व वादी के पक्ष में किया जाता है।

4–आया कि सिंचाई विभाग द्वारा इस मुरब्बा को वर्ष 2002–[illegible] ब तक 21 बीघा भूमि कि पानी की बारी दी जा रही है प्रतिवा[illegible] गया है। इसलिए विशेष हर्जाना दिलाया जावे।

–: प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जब कि प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में स्वीकार किया गया है कि वादी को 21–00बीधा कमाण्ड का पानी अब तक दिया जा रहा है। तथा 4–00बीधा बारानी अनकमाण्ड भूमि है। नहरी/बारानी का अनुतोष मांगा गया जो कि नहरी से सम्बधित होने के कारण प्रतिवादीगण को इस प्रकरण में पक्ष बनाया गया है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी के पक्ष में किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र विधिक तनकीयों के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वाके चक 16 पीटीडी ए के प.न. 279/339 मु.न. 25 के कि.न. 1 ता 10, 13 ता 16 , 19 ता 25 का रकबा नहरी , (कमाण्ड) तथा कि.न. 11–12–17–18 बारानी (अनकमाण्ड) का खातेदार वादी ओमप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति नायक निवासी 16 पीटीडी को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि अन्तर राशि जमा नहीं हो तो नियमानुसर जमा करवाये। बाकी अंकन बस्तदुर रहेगा। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested